कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकः आर–43 जे0डी0/लखनऊ–16(गौतम0)/29/655 दिनांकः अगस्त 22 2016।

सेवा मे,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः मै0 किंडल इन्फ्राहाईट्स प्रा0लि0 एण्ड कन्सोर्सियम मैम्बर, मै0 सिक्का डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या:321,322,324,325,329 एवं 330 ग्राम सादाबाद जखेबा एवं खसरा सं0–679,679क, 680,381,682 व 683 ग्राम अबूपुर पर अफोर्डेबल हांउसिंग नीति के अधीन समाजवादी आवास योजना ग्रुप हाउसिंग भवन "सिक्का कन्नन ग्रीन" मोदीनगर, गाजियाबाद के निर्माण हेतु मानचित्रो पर प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बंध मे।

यूआईडी नम्बर 2016/22375/जीजैडबी/गाजियाबाद/1561/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 1220/मास्टर प्लान जोन–2 दिनांकः 28–07–2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लाट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध कराते हुए प्रश्नगत प्रस्तावित भवनों की प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 11–08–2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

1–कुल प्लाट एरिया–23926.90वर्गमीटर।
2–नेट प्लाट एरिया–22154.98वर्गमीटर।
3–प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया–4911.82वर्गमीटर।
4–बेसमेण्ट कवर्ड एरिया–13188.64वर्गमीटर।

कमांक	नाम ब्लाक व तलो की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया	कुल कवर्ड एरिया	भवन की ऊचाई (मी0 में)	स्टेयर की सं0 व चौडाई (मीटर में)
1	ब्लाक ए, बेसमेण्ट+स्टिल्ट+14 तल	515.80वर्गमी.	6846.74वर्गमी.	44.95	02, 1.50/1.25
2	ब्लाक बी, बेसमेण्ट+स्टिल्ट+14 तल	515.80वर्गमी.	6877.40वर्गमी.	44.95	02, 1.50/1.25
3	ब्लाक सी, बेसमेण्ट+स्टिल्ट+14 तल	515.80वर्गमी.	4844.64वर्गमी.	44.95	02, 1.50/1.25
4	ब्लाक डी, बेसमेण्ट+स्टिल्ट+14 तल	697.70वर्गमी.(कम्यूनिटी)	4844.64वर्गमी.	44.95	02, 1.50/1.25
5	ब्लाक ई, बेसमेण्ट+स्टिल्ट+14 तल	515.80वर्गमी.	4844.64वर्गमी.	44.95	02, 1.50/1.25
6	ब्लाक एफ, बेसमेण्ट+स्टिल्ट+14 तल	514.10वर्गमी.	6829.10वर्गमी.	44.95	02, 1.50/1.25
7	ब्लाक जी, बेसमेण्ट+स्टिल्ट+14 तल	483.58वर्गमी.	6401.82वर्गमी.	44.95	02, 1.50/1.25
8	ब्लाक एच, बेसमेण्ट+स्टिल्ट+14 तल	492.32वर्गमी.	6504.86वर्गमी.	44.95	02, 1.50/1.25
9	ब्लाक आई, बेसमेण्ट+भूतल से प्रथम तल(कामर्शियल) +सर्विस तल+तीसरे तल से 6ठे तल तक(आवासीय)	380.92वर्गमी.	1503.68वर्गमी.	21.60	02, 1.50/1.50
नर्सरी स्कूल, बेसमेण्ट+स्टिल्ट/भूतल+02 तल		162.50वर्गमी.	487.50वर्गमी.	10.05	01, 1.50

भवन का अधिभोग एवं हैजार्डः–प्रश्नगत भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट, (एन0बी0सी0–2005 की ए–4 श्रेणी) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–**पहुॅच मार्गः**–प्रश्नगत भवन के सामने रोड की चौडाई 76.0 मीटर चौडा रोड प्रर्दशित है।
2–**प्रवेश द्वारः**–प्रश्नगत भवन मे प्रवेश/निकास द्वार की चौडाई 06.00 मीटर प्रर्दशित है।
3–**सैटबैकः**–
ए0–अग्रभाग–15.0मीटर।
बी–पृष्ठभाग–09.0 मीटर।
सी–पार्श्व प्रथम–09.0 मीटर।
डी–पार्श्व द्वितीय–09.0 मीटर।

भवन के चारो ओर उपरोक्तानुसार सैटबैक लाईन प्रदर्शित है। अतः भवन के सैट बैक भवन निर्माण विकास उपविधि 2008 यथा संशोधित के अनुसार है। जिसे सदैव अवरोध मुक्त ऑपन टू स्काई रखा जायेगा। इसमे किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

4–**निकास मार्गः**–प्रश्नगत भवन में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयर केस का प्राविधान प्रस्तावित है। फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर स्टेयर की चौडाई मानचित्र मे प्रर्दशित चौडाई से कम नही होनी चाहिये। **इण्टरनल स्टेयकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग–4 के**

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

बिन्दु संख्या–4.9 से 4.9.10 तक तथा एक्सटरनल स्टेयरकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.11 से 4.11.11 तक के अनुसार एवं रैम्प का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.14.1 से 4.14.3 के अनुसार किया जायेगा। स्कूल भवन मे लिफ्ट का प्राविधान मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–रिफ्यूज एरिया:– भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:– एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना जिसकी फायर ड्राईंग अलग से तैयार कराकर निर्माण कार्य से पूर्व अनुमोदन कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–होजरील / डाउनकमर:– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होज पाईप एवं ब्रान्च पाईप एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–भूमिगत:–प्रश्नगत परिसर मे अग्निशमन कार्यो हेतु 75,000 पिच्छत्तर हजार लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

3–पम्पस:– प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 1620 एल0पी0एम0 क्षमता के 01 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है जिनका हैड भुवन की ऊँचाई के सापेक्ष होना अनिवार्य होगा।

4–टेरिस टैंक:–प्रश्नगत भवन के प्रत्येक आवासीय ब्लाक की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली एवं अन्य एल0आई0जी., क्म्यूनिटी, स्कूल की टेरिस पर 15,000 हजार लीटर स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

5–वेटराईजर:– प्रस्तावित भवन मे वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

6–यार्ड हाईड्रेण्टस:– प्रस्तावित भवन मे रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:–प्रश्नगत भवन के दोनो बेसमेन्ट सहित सम्पूर्ण भवनों के समस्त तलो पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन के समस्त ब्लाको मे ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन के समस्त ब्लाकों मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधानित है।

11–स्मोक एक्स्ट्रेक्शन:– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन सिस्टम डिटेक्शन सिस्टम से इन्टीग्रेटिड किया जाना अनिवार्य है।

12–एग्जिट साईनेज:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित

13–पी0ए0 सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–कम्पार्टमेन्टेशन:– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15–प्रेशराईजेशन:– प्रश्नगत भवन मे आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन **एनबी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.10 से 4.10.7** के निर्देशानुसार किया जायेगा।

16–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी / स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0–2005 पार्ट–4 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

17–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट–4 के प्रस्तर सी0–5,सी–6,सी–7,सी–8 एवं सी–9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

18–भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर मै0 किंडल इन्फ्राहाईट्स प्रा0लि0 एण्ड कन्सोर्सियम मैम्बर, मै0 सिक्का डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या:321,322,324,325,329 एवं 330 ग्राम सादाबाद जखेबा एवं खसरा सं0–679,679क, 680,381,682 व 683 ग्राम अबूपुर पर अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अधीन समाजवादी आवास योजना ग्रुप हाउसिंग भवन "सिक्का कन्नन ग्रीन" मोदीनगर, गाजियाबाद प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन / इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण / परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि:1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को अनुपालनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।

3–अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।

4–मै0 किंडल इन्फ्राहाईट्स प्रा0लि0 एण्ड कन्सोर्सियम मैम्बर, मै0 सिक्का डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या:321,322,324,325,329 एवं 330 ग्राम सादाबाद जखेबा एवं खसरा सं0–679,679क, 680,381,682 व 683 ग्राम अबूपुर मोदीनगर गाजियाबाद को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।